न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–152/2017 (RCMS No. 2017/00165) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

हनुमान पुत्र श्योराम जाति मीना निवासी ग्राम गम्भीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर जरिये मुख्तार भरतलाल पुत्र हनुमान निवासी गम्भीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रामभरोसी पत्नी रामफूल जाति मीना निवासी ग्राम गम्भीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार, सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर दिनांक 28.03.13

उपस्थितिः–

1. श्री सी.एल. लोदवाल, वकील अपीलान्ट
2. श्री श्रीदास सिंह, वकील रैस्पोडैन्ट

नि र्ण य **दिनांक :– 31.07.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.03.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्रीमती रामभरोसी पत्नि रामफूल ने अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया ने आराजी ख0 नं0 33 रकवा 6 बीघा 13 विस्वा में से हनुमान का 1/2 हिस्सा श्रीमती भूरी पत्नि श्योपाल का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया था तथा सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा प्राप्त किया था। गत ख0 नं0 33 रकवा 6 बीघा 13 विस्वा के हाल ख0 नं0 152 रकवा 0.90 है0 व 153 रकवा 0.77 है0 बने है। वयनामा के आधार पर नामा0 भी तस्दीक हो गया। बिक्रेता के हक में उक्त आराजी में से कोई आराजी शेष नही बचती है। फिर भी सैटलमेन्ट विभाग की गलती से प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया है। अतः अप्रार्थी सं0 2 व 3 का नाम हटाकर प्रार्थीया का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 2 व 3 हनुमान व श्रीमती भूरी का नाम हटाकर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि रैस्पो0 सं0 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत पेश किया था उसमें अपीलान्ट व उसकी माता भूरी को न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट का प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा अन्य व्यक्ति का अंगूठा लगवा कर तामील करा दी तथा उसकी माता भूरी की मृत्यु का नोटिस में रिपोर्ट करा दी। इस कारण से अपीलान्ट को रैस्पो0 संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जानकारी नही हुई और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 01.05.08 को एक पक्षीय कार्यवाही कर दी थी तथा अपीलान्ट की माता भूरी की मृत्यु होने के कारण आदेशिका दिनांक 26.03.2011 के द्वारा अप्रार्थी सं0 3 भूरी का नाम हजफ कर दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि रैस्पो0 सं0 1 ने अपीलान्ट की माता से दिनांक 05.11.96 को जरिये वयनामा ख0 नं0 33 रकवा 6 बीघा 13 विस्वा हि0 1/2 में से केवल मात्र 3 बीघा भूमि क्रय की थी। शेष रकवा अपीलान्ट से जरिये वयनामा दिनांक 10.05.93 को रैस्पो0 सं0 1 ने क्रय किया था। अपीलान्ट की शेष साड़े छः विस्वा भूमि रहती है। जिस पर अपीलान्ट का मौके पर कब्जा है। रैस्पो0 उस पर कब्जा करना चाहता है। जबकि उक्त रकवा अपीलान्ट की माता ने नही बेचा था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया तथा सम्पूर्ण रकवे पर रैस्पो0 के नाम इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। प्रकरण पुनः जॉच व सुनवाई के लिये अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि रैस्पो0 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विवादित आराजी ख0 नं0 33 रकवा 6 बीघा 13 विस्वा अपीलान्ट व उसकी मॉ से क्रय की है तथा वयनामा के आधार पर समस्त आराजी पर कब्जा बिक्रेता ने रैस्पो0 को संभला दिया था तभी से आज तक रैस्पो0 उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। मौके पर आज भी रैस्पो0 का कब्जा है। गत ख0 नं0 के हाल ख0 नं0 152 रकवा 0.90 है0 व 153 रकवा 0.77 बने हैं। रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर रैस्पो0 के नाम दिनांक 15.08.93 को नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। अपीलान्ट के खाते में अब कोई आराजी शेष नही बचती है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के अधिकार दिये हैं, जो उचित है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रैस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि रैस्पो0 सं0 1 ने आराजी ख0 नं0 33 रकवा 6 बीघा 13 विस्वा में से हनुमान का 1/2 हिस्सा, श्रीमती भूरी पत्नि श्योपाल का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया था तथा सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा प्राप्त किया था। गत ख0 नं0 33 रकवा 6 बीघा 13 विस्वा के हाल ख0 नं0 152 रकवा 0.90 है0 व 153 रकवा 0.77 है0 बने है। वयनामा के आधार पर नामा0 भी तस्दीक हो गया। बिक्रेता के हक में उक्त आराजी में से कोई आराजी शेष नही बचती है। फिर भी सैटलमेन्ट विभाग की गलती से प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया है। अतः अप्रार्थी सं0 2 व 3 का नाम हटाकर प्रार्थीया का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के तथ्यों की पुष्टि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रैस्पो0 सं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। पत्रावली में उपलब्ध वयनामा की फोटो प्रतियों से तहसीलदार की रिपोर्ट की पुष्टि नही होती है। अपीलान्ट व उसकी माता भूरी ने जो वयनामा कराया है उसमें भूरी ने समस्त आराजी बिक्रय नही की है बल्कि 3 बीघा भूमि बिक्रय की है। उक्त वयनामों के आधार पर उतनी ही भूमि का नामा0 दर्ज किया जाना चाहिये। पत्रावली में नामा0 की प्रति नही होने से स्थिति स्पष्ट नही हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत् नही है। प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.03.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देकर न्यायिक एवं तार्किक निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.09.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official